उच्चकलां — चानसिंह 24/2014

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 16.7.18 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रोजनामचा 17 के अनुसार पक्षकार हाजिर। पत्रावली दिनांक 14.9.18 को पेश हो। | |
| 14.9.18 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रोजनामचा 16 के अनुसार पक्षकार हाजिर। पत्रावली दिनांक 23.10.18 को पेश हो। | |
| 23.10.18 | पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को कई बार आवाज दिलाई गई। [illegible] समय [illegible] बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया लेकिन बावजूद अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप अपील अपीलांट अदम पैरवी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/x/18<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official